प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 463 / 2023

अनवान : –

1. महावीर सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दीपसिंह पुत्र मालमसिंह जाति राजपुत निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. उपेन्द्र सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. निर्मला कंवर पुत्री दीपसिंह जाति राजपुत निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. कान्ता कंवर पुत्री जाति राजपुत निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशारे जोशी, अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 13.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 307 / 303 की कुल 67.4180 हैक्ट भूमि स्थित है जिसके मालमसिंह पुत्र संगतसिंह जाति राजपुत खातेदार काश्तकार थे। वादी के दादा मालमसिंह पुत्र संगतसिंह की फौतदगी के बाद रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 307 / 303 की कुल 67.4180 हैक्ट भूमि में से 1 / 7 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई।

वर्तमान में रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 307 / 303 की कुल 67.4180 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त वादी भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है।

प्रतिवादीया स0 3 व 4 जो की वादी व प्रतिवादी स0 2 की बहिन तथा प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है अपना समस्त हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग रोही मौजा भगवानसर के खाता स0 307 / 303 की कुल 67.4180 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम 1 / 6 [illegible] हैक्ट भूमि में से वादी अकेला 4.554 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी स0 1 अकेला 2.128 [illegible] प्रतिवादी स0 2 अकेला 4.554 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाना चाहते है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी की पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 का बहिब का हक हिस्सा है प्रतिवादी स0 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 307/303 की कुल 67.4180 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है यानि 11.236 हैक्ट भूमि में से 4.554 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 2.128 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 4.554 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत सा[illegible] के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:12 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 307/303 की कुल 67.4180 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, यानि 11.236 हैक्ट भूमि में से 4.554 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 2.128 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 4.554 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 463/2023
अनवान : –

1. महावीर सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दीपसिंह पुत्र मालमसिंह जाति राजपुत निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. उपेन्द्र सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. निर्मला कंवर पुत्री दीपसिंह जाति राजपुत निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. कान्ता कंवर पुत्री जाति राजपुत निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 463 सन 2023 निर्णय दिनांक 13.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादी की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 307/303 की कुल 67.4180 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, यानि 11.236 हैक्ट भूमि में से 4.554 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 2.128 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 4.554 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 13/6/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:12 IST
Reason: SelfAttested